20-06-2018

बस में बेटिकट मिले तो 500 तक जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना : राजधानी और आसपास के शहरों के बीच शुरू की गई सिटी बसों में बेटिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बस चालकों को बेहतर कार्य के लिए वेतन के अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा।

शहर में ऑटो और निजी बसों को छोड़कर सरकारी बसों से दैनिक सफर करने वालों की संख्या बढ़कर अब 27 हजार पार कर गई है। पटना सिटी से गांधी मैदान के बीच संख्या 700 से बढ़कर तीन हजार हो गई है। फिलहाल सरकारी सिटी बसों का परिचालन बिहटा, मनेर, दानापुर, पटना सिटी, एम्स और फुलवारीशरीफ के अतिरिक्त पटना विश्वविद्यालय के लिए किया जा रहा है।

सरकारी बसों का किराया निजी बस और ऑटो की तुलना में कम होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अधिकतम किराया 15 रुपये है।

सख्ती

- चालकों को बेहतर कार्य के लिए मिलेगा मानदेय के अतिरिक्त बोनस
- बिहटा, मनेर, दानापुर, पटना सिटी, एम्स व पीयू रूट पर हो रहा परिचालन

सिटी बसों का परिचालन नागरिक दायित्वों के तहत शुरू किया गया है। बेटिकट यात्रा करने वालों की जांच को टीम गठित की गई है। चालकों के बेहतर कार्य करने पर उन्हें बोनस दिया जाएगा।

संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग।